तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 02/2024 विविध प्रार्थना पत्र

(GCMS No. 2024/105)

अनवानः

1. तोलाराम पुत्र अणदाराम जाति चमार (मेघवाल) साकिन वार्ड नं. 31 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. हेतराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी साकिन वार्ड नं. 4 करणी माता मंदिर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

10.09.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अवगत कराया कि वाके रोही मोजा ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खाता नं. 4/3 के खसरा नं. 300, 1020/298 में कुल 18.335 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि में से 3.2013 हैक्टेयर हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में विरासतन दर्ज है। वादगत रकबा दो खसरों 398/4 व 300 में विभाजित है। जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता व फौत हो जाने पर अपीलांट तथा अपीलांट के परिवार के कब्जा काश्त में है। खसरा नं. 298/4 के उतरी दिशा में सोमासर ग्राम की कांकड़ बनी हुई है। सोमासर ग्राम की कांकड़ से अपीलांट व अपीलांट के परिवार का रकबा खसरा नं. 298/4 व खसरा नं. 300 शुरू होता है। अपीलांट का जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता के समय से ही खातेदारी रकबा है। रेस्पो. सं. 1 जिसका खसरा नं. 298 में कंही भी कब्जा काश्त नहीं है, केवल पेपर अलॉटी है, ने राजस्व कर्मियों से साठ–गांठ करके लठ्ठे नक्शें पर सोमासर की कांकड़ के दक्षिणी दिशा की तरफ तरमीम कराते हुए खसरा नं. 1098/298 व खसरा नं. 1099/298 अंकित करवा लिया है, जो कि अपीलांट के कब्जा काश्त खसरा नं. 298 का भाग है। जिस पर तरमीम करवाने का का किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकारी रेस्पोडेन्अ नहीं था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर सरकारी दस्तावेजों में मिथ्या निरूपण का अपराध भी कारित होता है। गत नक्शा व हाल नक्शा पेश है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट के हकों को समाप्त किया गया है तथा राजस्व जमाबन्दी पेश की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2024 को इसी प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया गया तथा अपील को दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। फिर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2024 पारित कर प्रकरण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त कर दिया, जो समझ से परे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2024 व तहसील द्वारा तरमीम अवैध की गई है, उसे निरस्त किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय को हस्तगत प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित

है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। किसी भी प्रक्रम में भूमि के तरमीम से संबंधित कार्यवाही का निर्धारण लैण्ड रिकाड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाना विधिसम्मत है। उक्त प्रकरण में ऐसी कार्यवाही किस स्तर के अधिकारी द्वारा व किसके निर्देश पर की गई है, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है। हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रकरण से संबंधित कार्यवाही विधि अनुसार व नियमानुसार संधारित नहीं की गई है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे है और प्रकरण को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए निरस्त फरमाया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2024 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर एवं तरमीम से पूर्व एवं बाद तरमीम दस्तावेजों की विधिक प्रक्रिया के संबंध में सम्पूर्ण विवेचन के साथ समुचित विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर